

# भारतीय गैर न्यायिक



## INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 299153

श्री कमल स्टाफ बैंक ली. दुर्गा जी हारपीटल सेवा संस्थान  
 ग्राम-सैहदा पोठ महरोजपुर  
 जिला आजमगढ़ कादल नं० AZ-17389  
 के मृतिपत्र के साथ संलग्न है।



सत्य प्रसिद्धि  
 सहायक निबंध  
 कर्मा सोसाइटी फंड विद्व  
 आजमगढ़ ।  
 10/08/15

मिलानकर्ता 18-8-15  
 विलिखिकर्ता

## -: स्मृति पत्र :-

- 1: संस्था का नाम : श्री दुर्गा जी हॉस्पिटल सेवा संस्थान ।  
 2: संस्था का पता : ग्राम- सेहवा, पो- महाराजपुर, तह- सदर, जिला- आजमगढ़, उ०प्र०।  
 3: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।  
 4: संस्था के उद्देश्य 9 : स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।

- 2: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व परीक्षण करना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।
- 3: सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना ।
- 4: पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत नर्सिंग प्रोग्रामों, कार्मेली, पैथालॉजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमिटी, कार्डियालाजी, सी०टी०/एम०आर०आई०, आण्टीबायोट्री, इन्फ्यूजन मेन्टेन्स, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, ओ०टी०टेक०, ए०एन०एम० आदि प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- 5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, काला आजार, डेंगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रजित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०, चेचक आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।
- 6: स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, इन्फ्यूजन, एम्बोथेरेपी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नर्स व ए०एन०एम० प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- 7: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी मुक्त शिशु चिकित्सालय, कार्मेली कालेजों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
- 8: गांधी में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों, जनजागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।
- 9: गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व वृद्धक-वृद्धक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।



**सत्य प्रतिनिधि**

संयोजक निःशुल्क  
 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
 आजीवन

निर्माणकर्ता: 18-835  
 अधिकारी: 18-835

20/07/2021

- 90: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियो शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागिय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- 91: आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करवाना एवं उनकी देख रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार प्रसार करना तथा जगह-जगह निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, शिविरों, दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागिय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- 92: विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र आदि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना।
५. संस्था के प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों के नाम पिता/पति का नाम-पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	श्री राममयन यादव	स्व० चुल्लुर यादव	ग्राम-सिहवा पो० मन्थरापुर आजमगढ़	अध्यक्ष	समाजसेवा
२.	श्री लालजी यादव	स्व० चुल्लुर यादव	"	प्रबन्धक साचिव	"
३.	श्री रामनयन यादव	स्व० चुल्लुर यादव	"	कोषाध्यक्ष	"
४.	श्रीमती घनवती देवी	स्व० चुल्लुर यादव	"	सदस्य	"
५.	श्रीमती रेखा देवी	श्री रामनयन यादव	"	"	"
६.	श्रीमती नाया देवी	श्री राममयन यादव	"	"	"
७.	श्री मन्नु यादव	श्री उदई यादव	ग्राम-गयासपुर पो० कन्धरापुर, आजमगढ़	"	"

**सत्य-प्रतिनिधि**

सहायक निबन्धक  
सोसाइटीज एवं विद्वानुसार  
आजमगढ़  
18/10/15

हमें निम्न हस्ताक्षर कर्त्तव्य संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के  
सं० रजि० ऐक्ट १८६० कि धारा २९ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं।

मजानकली... 18-8-15  
प्रतिनिधिकर्ता

दिनांक 18/10/15 श्री राममयन यादव समी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर  
मध्य धारक

रजि० सं० 1-24/15

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 299152

एक जनरल स्टाम्प वेबस्त्री दुर्गा जी हास्पिटल सेवा संस्थान  
ग्राम-सेहदा पोठ महाराजपुर  
जिला आजमगढ़ नं० 2-1-389  
के निपमावली के साथ संलग्न है।



सत्य-प्रतिष्ठा

सहायक निबंधक  
एन. सी. सोसाइटी एंड विदल  
आजमगढ़  
10/10/15

प्रिन्सिपल 18/8/15  
प्रतिनिधिकता

-: नियमावली :-

- १:संस्था का नाम : श्री दुर्गा जी हास्पिटल सेवा संस्थान ।  
२:संस्था का पता : ग्राम- सेहवा, पो- महाराजपुर, तह- सदर, जिला- आजमगढ़, उ०प्र०।  
३:संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।  
४:संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार  
५:संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम ३०००/-या उससे अधिक मूल्य की धल/अधल सम्पत्ति नि:स्वार्थ भाव से सदस्यता शुल्क स्वरूप देगे तथा संस्थाहित में कार्य करेगे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषीभाव रखने वाले होंगे तथा संस्था को ३००/-रुपया हर पाँचवे साल सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेंगे ।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेंगे तथा संस्था को ५१/-रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे ।

सदस्यता ग्रहण करने की अहती- वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हो।

६:सदस्यता की समाप्ति: मृत्यु होने पर ।

२: पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।

३: संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

४: त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

५: लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर ।

६: किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक/अपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर।

७: सदस्यता शुल्क समय से न जमा करने पर।

७:संस्था के अंग

१: साधारण सभा

२: प्रबन्धकारिणी समिति

८:साधारण सभा

गठन

नियमावली के नियम ५ के अन्तर्गत सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेंगे ।

बैठक

साधारण सभा की सामान्य बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचनाअवधि

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर १२ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना १ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम

साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा ,कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जिसकी तिथि,कार्यक्रम व समय प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

सत्य-प्रशिक्षि

सदस्य निम्नलिखित  
कार्यक्रमों का विवरण  
देखेंगे ।

मिलानकर्ता... १४-४२५  
प्रतिनिधिकर्ता

14/04/2025

## साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

- 1: प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- 2: संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल एवं सुरक्षा करना ।
- 3: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

## ६: प्रबन्धकारिणी समिति:

- गठन** प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें ०३ पदाधिकारी एवं ०४ सदस्य होंगे कुल संख्या ०७ होगी ।
- बैठके** प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।
- सूचनाअवधि** प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।
- कोरम** प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्वंगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

**रिक्त स्थानों की पूर्ति:** प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या अकस्मिक रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए साधारणसभा में से नियमानुसार की जायेगी ।

## प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

- 1: संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संघर्ष एवं उपसमितियों/प्रकमेटियों का गठन एवं संवातन करना ।
- 2: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारणसभा से पासकराना।
- 3: कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/समाप्ति/वेतन/नियमितकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संमति पर करना ।
- 4: संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना ।
- 5: स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना ।

**कार्यकाल :** प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच साल तक होगा ।

## १०: प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य:

- अध्यक्ष**
- 1: सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
  - 2: बैठकों को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना ।
  - 3: बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।
  - 4: बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण करना ।
  - 5: बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करना ।

भारत प्रतिष्ठिति

संस्थाध्यक्ष  
भारत सोसाइटीज फंड ट्रस्ट  
काजमगढ़ ।

मिजानकर्ता 18/8/25  
प्रतिनिधिकर्ता

Jajji Yadav  
संस्थाध्यक्ष

- प्रबन्धक/ सचिव १: साधारण सभा की बहुमत की मांग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव करना ।
- २: दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ।
- ३: वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा भनादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना ।
- ४: बैठकों में विजय पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना, तथा त्याग पत्र स्वीकार करना ।
- ५: किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।
- ६: संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना ।
- ७: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना
- ८: संस्था के पत्र में मिलने वाले ऋण, अनुदान, दान, चन्दा, भूमि, भवन आदि को प्राप्त करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना ।
- ९: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना
- १०: संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।
- ११: कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, वेतनवृद्धि, निवृत्तीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को लिखित संस्तुति देना ।
- १२: संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था के किसी कर्मचारी के जाँच की अवधि तक निलम्बित करना तथा जाँच की रिपोर्ट कार्यकारिणी सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ।
- १३: सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना और उसकी रसीद देना
- १४: सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना ।
- १५: सदस्यता ग्रहण करने योग्य पात्र व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना ।
- १६: संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।
- १७: संस्थाहित में सभी प्रकार का कार्य करना ।
- १८: आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना ।
- १९: आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना ।
- २०: बैठकों की तिथि , समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना ।
- २१: संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना ।
- २२: संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना ।
- २३: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।



सत्य प्रतिष्ठा

सहायक निबन्धक  
कर्म, होसाटीज एवं विज्ञान  
संस्थान, गुरुगढ़ ।  
10/10/15

मिलानकर्ता... 18-8-15  
प्रतिनिधिकर्ता... 18-8-15

Lalraj Yadav

- कोषाध्यक्ष १: आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ।  
 २: प्रबन्धक/सचिव की सहमति पर समस्त बिल बाउचरो का भुगतान करना ।  
 ३: प्रबन्धक/सचिव की सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना ।  
 ४: आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास करवाना  
 ५: संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना ।  
 ६: समस्त ज्ञापनों -विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान कराना ।

११:संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

१२:संस्था का कोष: संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

१३:संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण/आडिट :

संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१४:संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दाखिल होने वाले मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक/सचिव द्वारा संस्था के अधिकारों पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखे जा सकेंगे ।

१५:संस्था के अभिलेख

- १: सदस्यता रजिस्टर
- २: कार्यवाही रजिस्टर
- ३: स्टॉक रजिस्टर
- ४: सूचना रजिस्टर
- ५: कैश बुक आदि।



१६:संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो०रजि०एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

ह०

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक  
 फर्ना सोसाइटीज फंड विद्स  
 आजमगढ़ ।  
 10/10/15

मिलानकर्ता 18/10/15  
 प्रतिलिपिकर्ता

Tejinder Yadav  
 माया कौल

10022114  
 10/10/15